

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली

Speed Reply

61/35, कोपरनिकस मार्ग
नई दिल्ली - 110001

दिनांक- 13.10.2016

17

फाइल संख्या पी.बी./आर.टी.आई/67/2016-17-जे ए

याचिका संख्या : 10/2016

आवेदक का नाम : श्री अमलेंदु कुमार चौधरी

लोकाधिकारी : केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली

निर्णय की तिथि : 13.10.2016


तथ्य :

आवेदक/अपीलकर्ता के आवेदन दिनांकित 04.07.2016 के आवेदन पर केन्द्रीय लोक सूचनाधिकारी(सी पी आई ओ) द्वारा जारी आदेश दिनांकित 30.08.2016 के संबंध में यह अपील प्राप्त हुई है।

केन्द्रीय लोक सूचनाधिकारी (सी.पी.आई.ओ) द्वारा जारी उत्तर को मैंने जाँच लिया है। मैं के.लो.सू.अधि. (सी.पी.आई.ओ) के उत्तर से सहमत हूँ कि आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा मांगी गयी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अंतर्गत नहीं आती है। यह भी लेख है कि के.लो.सू.अधि. (सी.पी.आई.ओ) से प्रकरण का परीक्षण, सूचना एवं राय प्रस्तुति अपेक्षित नहीं है।

अतः इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

यदि आवेदक उपरोक्त निर्णय से संतुष्ट नहीं हों तो वह द्वितीय अपीलीय अधिकारी अर्थात केन्द्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, खंड ख, अगस्त क्रान्ति मार्ग, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली- 110006, के समक्ष द्वितीय अपील दायर कर सकते हैं।



(गुरमीत सिंह)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

(iii) श्री अमलेंदु कुमार चौधरी
निवासी- वार्ड सं. 7, सीतामरी,
लच्चा निवास, प्रताप नगर,
बिहार- 843302

(iiii) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की वेबसाइट, प्रधान न्यायपीठ.